

प्ररूप-2 क  
(नियम 4 देखिए)

## नाम निर्देशन-पत्र

### लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग-1 या भाग-2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

#### भाग-1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 22 उज्जैन-४ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम अश्वमेधा देवी

पिता/माता/पति का नाम सहीप महता उसका डाक पता 578-मन्पुरा ४

विकासनगर पो-मन्पुरापुर जिला-समस्तीपुर उसका नाम 23 समस्तीपुर 390570

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समविष्ट 132 वारिसनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 50 में क्रम सं० 809 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम राम चंद्र राय है जो 22 उज्जैन-४ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समविष्ट 137 गौड़उड़ीनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 122 में क्रम संख्या 877 पर प्रविष्ट है।

तारीख 16/04/2014

राम चंद्र राय  
(प्रस्थापक का हस्ताक्षर)

#### भाग-2

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम ..... उसका डाक पता .....

..... उसका नाम .....

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० ..... में क्रम सं० ..... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में, जैसे की नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर ।

प्रस्थापक का निर्वाचन नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचन नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग-3

मैं भाग-1 /भाग-2 (जो लागू न हो, उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने 51 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(नीचे ख (i) या ख(ii) में से जो लागू न हो, उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में जनता दल यूनाईटेड दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपर्युक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में हिन्दू महासभा दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ; (जो लागू न हो, उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधियान क्रम में (i) हिन्दू महासभा

(ii) हिन्दू महासभा (iii) हिन्दू महासभा हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पति/पत्नी/पति का नाम ऊपर हिन्दी (देवनागरी) (भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा जा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं हिन्दू महासभा का सदस्य हूँ जो हिन्दू महासभा राज्य के उस राज्य में के हिन्दू महासभा (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित हिन्दू महासभा है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में हिन्दू महासभा नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 16/04/2014

अश्वमेध-देव  
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

\* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

\*\* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

\*\* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

\*\* \* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें- "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 की-  
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या  
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,  
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,  
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

} हाँ / नहीं  
नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :-

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ..... लागू नहीं होता
- (ii) पुलिस थाना(थाने) ..... लागू नहीं होता जिला(जिले) ..... लागू नहीं होता राज्य ..... लागू नहीं होता
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ..... लागू नहीं होता
- ..... लागू नहीं होता
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखे) ..... लागू नहीं होता
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया ..... लागू नहीं होता
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें ..... लागू नहीं होता
- ..... लागू नहीं होता
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं होता
- (viii) क्या उपर्युक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील(अपीले)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे : हां/नहीं
- (ix) फाईल की गए अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ ..... लागू नहीं होता
- ..... लागू नहीं होता
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील(अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन फायल किए गए थे ..... लागू नहीं होता
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वें लंबित हैं
- ..... लागू नहीं होता
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदन) निपटारा हो गया है, तो -
- (क) निपटारा की तारीख (तारीखें) : ..... लागू नहीं होता
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) : ..... लागू नहीं होता

स्थान : समस्तीपुर  
तारीख : 16/04/2014

अशोक-देव  
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)



(5)

भाग-4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जायेगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० .....08.....

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में .....16.4.2014..... (तारीख) को .....2:06 PM..... (बजे) \*अभ्यर्थी/  
प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख : 16/4/2014

निर्वाची प्रदाधिकारी  
22-उजियारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र  
(रिटर्निंग ऑफिसर)  
अपर समाहर्ता समस्लीपुर

\* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिये।

भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख : .....

(रिटर्निंग ऑफिसर)

(हस्ताक्षर)

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप  
(भारत के संविधान अनुच्छेद 84(क) )  
(संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

श्री अश्वमेध देव जो लोक सभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ/लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा/रखूँगी एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा/रखूँगी।

अश्वमेध देव  
उम्मीदवार का हस्ताक्षर  
और बड़े अक्षर में नाम

श्री/श्रीमती अश्वमेध देवी मैं आज तारीख 16.4.2014 के पूर्वहन/अपराहन 02:21 PM बजे अपर समाहर्ता समस्तीपुर के कार्यालय (स्थान) में मेरे सामने ईश्वर के नाम पर शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :- श्री मोचीज आनी आसारी  
पदनाम :- अपर समाहर्ता - निर्वाचन क्षेत्र  
मुहर :- निर्वाचन पदाधिकारी  
22-उजियापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

--सह--  
अपर समाहर्ता समस्तीपुर

GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
SAMASTIPUR SO. CHRE. SAMASTIPUR

भारत STAMPEL DUTY  
00000  
बिहार JUDICIAL  
000011000 15 / 2017  
3753 12 BIHAR  
INDIA \*\*Zero Zero Zero Zero One\*\* Zero Zero



COURT FEE  
Authorisation No. 3358



No. 1303 DATE 15-4-14

“प्ररूप 26”  
(नियम 4क देखिए)



22 उजियारपुर

निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क  
में अश्वमेध देवी \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी सुदीप महता आयु 51 वर्ष,  
जो ग्राम-मधुरापुर विकासनगर, पो-मधुरापुर सि-समस्तीपुर (डाक का पूरा पता लिखें) ह्ला/की निवासी  
हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा कस्त-हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन कस्त-हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं जनता दल युनाईटेड (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/  
\*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 132 वारिसनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम)  
में भाग सं. 50 के क्रम सं. 809 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 09013180080, 9431480577 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)  
शून्य है।

(4) स्थाई लेख संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं	AFXPD5736L	वर्ष 2012-13 का वर्ष 2013-14 में	5,03,300/≈
2.	पति मा-पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1 पुत्र-संजीत कुमार	BMKPK8609J	वर्ष 2012-13 का वर्ष 2013-14 में	2,25,270/≈
4.	आश्रित-2 पुत्र संजीत कुमार	CLPPK7704 R	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3 एवं 4 अजीत सरकार एवं सुजीत कुमार	शून्य	शून्य	शून्य



- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।  
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-
- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिखा गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिखा गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :-  
.....लागू नहीं..... यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:  
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं



(7) मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम (Movable) और स्थावर (Immovable) आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम (Movable) आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और खाता सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक पतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति-पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3+4
(i)	हाथ में नकदी	85,000/₹	शून्य	45,000/₹	25,000/₹	शून्य
	बैंक खाता में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	SBT 30811592060 Rs. 96000/- 11698778075 Rs. 500/₹ 10839463326 Rs. 2000/₹ Camara Bank 0989101015962 Rs. 10000/₹ P.N.B 350400010042 0973 Rs. 1500/₹	शून्य	Camara Bank 098920100143 Rs. 1876=00 0989101021716 Rs. 34/=00 UBI 050905001203 Rs. 1801/₹ 0509010177955 Rs. 506/₹ SBT 30934750540 Rs. 30,000/₹	SBT 32327956151 Rs. 53,000/₹	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शेयर Rs. 90,000/₹ (जिन्दगी जूप)	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	कीमा पॉलिसी 2.50 लाख	शून्य	SBT Life Insurance Rs. 18190/₹	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(vi)	मोटरयान/ वायुयान/ वाट/ पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	निर्बंधन सं० BR33D-6868 वर्ष - 2007 क्रय मूल्य 9.40 लाख	शून्य	निर्बंधन सं० BR336 6030 वर्ष - 2010 क्रय मूल्य - 63,000/रु	निर्बंधन सं० KAD6EL 9926 वर्ष - 2010 क्रय मूल्य 1,13,000/रु	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोना - 150 ग्राम मूल्य - 4.50 लाख चाँदी - 500 ग्राम मूल्य - 30000/रु	शून्य	सोना - 50 ग्राम मूल्य - 1.50 लाख	सोना - 20 ग्राम मूल्य - 60,000/रु	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य 85 लाख स्थायी (Immovable) आस्तियों के ब्यौरे	17.80 लाख 18.65 लाख	शून्य	3,10,714/रु	3,41,000/रु	शून्य



टिप्पणी 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति मा-पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति 120 एकड़ 121 (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ))	ग्राम-मधुपुर अंचल-कारिस नगर जि०-समस्तीपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	07 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ))	ग्राम-मधुपुर अंचल-कारिस जि०-समस्तीपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1000/10 भूट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित), अवस्थिति 120/121 (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	ग्राम-भुवरापुर अंगण-कारिसना क्रि-समस्तीपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	3000 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2400 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	07 लाख 10 लाख	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) 341, अवस्थिति 291, 362, 364 (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	ग्राम-भुवरापुर अंगण-कारिसना क्रि-समस्तीपुर एक पटना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2000 वर्ग फीट एक 1596 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2000 वर्ग फीट एक 1596 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य





	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	20 लाख एवं प्रस्तावित 24 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	30 लाख एवं 24 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य ( जैसे कि संपत्ति में हित )	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	64 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों (dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

दिए गए विवरणों के अनुसार बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति स-पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य (lone or dues) बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	3.75 लाख भारतीय 222 बैंक बिहार कृषि विकास परतना	शून्य	U.B.I समस्तीपुर 30 लाख	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	3.75 लाख	शून्य	30 लाख	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	2000/2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	30,000/2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	सरकारी परिवहन ( वायुयान और हेलिकाप्टर सहित ) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	23,311/2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	4,30,311/2	शून्य	30 लाख	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतवलि (In- volved) रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... कृषि

(ख) पति या पत्नी ..... शून्य

मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

सातवीं कक्षा उत्तीर्ण, राजकीय मध्य विद्यालय, बाजीपुर मैथिली, प्रबन्ध-संगरभोजन  
जिला - समस्तीपुर

( प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें )

भाग-ख

11. भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शुभ अश्वमेध देवी
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम - मधुरापुर विकास नगर पो - मधुरापुर जिला - समस्तीपुर
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	22 उजियारपुर संसदीय क्षेत्र, बिहार
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है ( अन्यथा स्वतंत्र लिखें )	जनता दल यूनाईटेड

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रवृत्ति अधिनियम 1951 की धारा 78 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य

7.	आश्रित का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	AFXPD 5736 L	वर्ष 2012-13 के लिए वर्ष 2013-14 में फाइल	5, 03, 300/-
	(ख) पति व पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) आश्रित	BMKPK 8609 J	वर्ष 2012-13 के लिए वर्ष 2013-14 में फाइल	2, 25, 270/-

8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपएं में)					
	विवरण	स्वयं	पति व पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3

क.	जंगम (Movable) आस्तियां (कुल मूल्य)	गाड़ी, सोना चोरी, बैंक 18.65 लाख	शून्य	बाईक, सोना, चोरी के बैंक 3, 10, 714/-	सोना चोरी के बैंक 3, 41, 000/-	शून्य
ख.	स्थावर (Immovable) आस्तियां					
(I)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	64 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(III)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	64 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	64 लाख	शून्य	310,714=00	341,000=00	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	145 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	32,000=00 विपुल+इलाहाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	वाहता संस्था 3.75 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)	<p>सातवीं कक्षा उत्तीर्ण, राजकीय मध्य विद्यालय, बाजीपुर मेथरी, पटौरी सरापरजन जिला- समस्तीपुर</p>				

## सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 15/04/2014 को सत्यापित किया गया।

Sworn before me on the 15<sup>th</sup> day of April 2014  
by Ashwamedh Devi who has been  
identified by R. C. Thakur  
Advocate Samastipur

I identify the signature of  
Ashwamedh Devi who has  
signed in my presence.

अभिसाक्षी देव

अभिसाक्षी

✓ Ravi Chandra Thakur  
Advocate  
15/04/2014  
En-721/77

15.4.14  
NOTARY  
SAMASTIPUR

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेगे।

टिप्पण 6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी ।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 09013180080, 9431480577.....

मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है ..... 9431480577.....

एवं मेरा सोशल एकाउंटस (अगर कोई हो) है ..... 9431480577.....